

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

विनित सोयल पुत्र दुर्गा लाल सोयल निवासी कुचलवाड़ा कला वगैरह

बनाम

जगजीत सिंह पिता दिलीप का राजपूत निवासी कुचलवाड़ा कला वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 74 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुय
08-04-24	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम कुचलवाड़ा कला प.ह. कुचलवाड़ा कला आराजी सं. 1535, 1351, 1540, 1390 कुल किता 04 रकबा 1.5216 हेक्टेयर भूमि स्थित है अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ौसी है अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है ग्राम कुचलवाड़ा कला प.ह. कुचलवाड़ा कला आराजी सं. 1535, 1351, 1540, 1390 कुल किता 04 रकबा 1.5216 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है कमीशनर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें </p> <p>आदेश आज दिनांक 08/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया </p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/74/2024

दिनांक- 08/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय— प.सं. 74 / 2024 अनवान विनित सोयल पुत्र दुर्गा लाल सोयल निवासी कुचलवाड़ा कला, सुमित्रा देवी पत्नी दुर्गा लाल सोयल निवासी कुचलवाड़ा कला, दुर्गा लाल सोयल पुत्र जमुना सोयल निवासी कुचलवाड़ा कला, आशुतोष पुत्र दुर्गा लाल सोयल निवासी कुचलवाड़ा कला ब्रनाम जगजीत सिंह पिता दिलीप का राजपूत निवासी कुचलवाड़ा कला, कजोड पिता छगना खटीक निवासी कुचलवाड़ा कला, किशन पुत्र मोहन खटीक निवासी कुचलवाड़ा कला, दीपक पुत्र काना चमार निवासी कुचलवाड़ा कला, कालू पिता कल्याण खटीक निवासी कुचलवाड़ा कला, रूपलाल पिता रुधा खटीक निवासी कुचलवाड़ा कला, भंवर सिंह पिता जगदीश दरोगा निवासी कुचलवाड़ा कला, दुर्गालाल पिता रामकिशन दरोगा निवासी कुचलवाड़ा कला, काना पुत्र मोहन माली निवासी कुचलवाड़ा कला, गोपाल पुत्र धन्नो माली निवासी कुचलवाड़ा कला, जगदीश पिता सूखा माली निवासी कुचलवाड़ा कला, कैलाश पुत्र कालू चमार निवासी कुचलवाड़ा कला की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम कुचलवाड़ा कला प.ह. कुचलवाड़ा कला आराजी सं. 1535, 1351, 1540, 1390 कुल कित्ता 04 रकबा 1.5216 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा